



घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा कानून (Act, 2005): छत्तीसगढ़ में प्रभावशीलता का अध्ययन

¹आराधना साहू, ²डॉ. विजय यादव

¹शोध छात्रा, ²सहायक प्राध्यापक

¹विधि विभाग

¹डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी करगी रोड कोटा, बिलासपुर, (छ.ग.), भारत

सारांश : यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ में "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" की प्रभावशीलता का अध्ययन करता है। घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकार (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और यौन) और इसके मुख्य कारण जैसे पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक निर्भरता, और कानूनी जागरूकता की कमी का विश्लेषण किया गया। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और राज्य में इसके क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। 2020-2023 के आंकड़ों के आधार पर पता चला कि महिलाओं को न्याय दिलाने में यह अधिनियम उपयोगी साबित हुआ है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में सामाजिक और प्रशासनिक बाधाएं हैं। प्रमुख सिफारिशों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण अधिकारियों की संख्या बढ़ाने, त्वरित न्याय प्रणाली स्थापित करने, और एनजीओ व सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया है। यह शोध महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण में अधिनियम की प्रभावशीलता और आवश्यक सुधारों को रेखांकित करता है।

कीवर्ड : घरेलू हिंसा, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़, महिला सुरक्षा कानून, सामाजिक जागरूकता, आर्थिक निर्भरता

परिचय

घरेलू हिंसा एक व्यापक सामाजिक समस्या है, जो महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार और भेदभाव का प्रतीक है। यह न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करती है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2005 में "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम" लागू किया, जो घरेलू हिंसा के सभी रूपों को कवर करता है और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी उपाय सुनिश्चित करता है।

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं अद्वितीय हैं, घरेलू हिंसा के स्वरूप और इससे निपटने के उपायों को समझना आवश्यक है। इस शोध में, घरेलू हिंसा के प्रकार, इसके कारणों, और 2005 के अधिनियम की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन न केवल समस्या की गहराई को समझने में मदद करेगा, बल्कि इसे रोकने के लिए ठोस सिफारिशें भी प्रदान करेगा।

शोध का उद्देश्य

1. छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा के मौजूदा स्वरूप और इसके कारणों का अध्ययन।
2. "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।

3. राज्य में घरेलू हिंसा से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण।
4. कानून के प्रति जागरूकता और इसके क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों का अध्ययन।

शोध की पद्धति

1. **डेटा संग्रहण:** डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक और, द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।
2. **पृष्ठभूमि अध्ययन:** छत्तीसगढ़ में सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण किया गया है।
3. **आंकड़ों का विश्लेषण:** प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय और तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है।

छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा का स्वरूप

छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा एक जटिल सामाजिक समस्या है, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए इसके प्रमुख कारणों पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है:

1. सामाजिक और सांस्कृतिक कारण

- **पितृसत्तात्मक समाज और महिलाओं की द्वितीयक स्थिति:** छत्तीसगढ़ के पारंपरिक समाज में पितृसत्तात्मक ढांचा गहराई से निहित है, जहां महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है। इससे महिलाओं के अधिकारों का हनन और उनके साथ हिंसा की संभावना बढ़ती है।
- **दहेज और पारिवारिक विवाद:** दहेज प्रथा अब भी समाज में प्रचलित है। दहेज को लेकर उत्पन्न विवाद घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण बनते हैं।

2. आर्थिक कारण

- **गरीबी और बेरोजगारी:** छत्तीसगढ़ जैसे ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आर्थिक अस्थिरता और बेरोजगारी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। गरीबी के कारण घर के भीतर तनाव बढ़ता है, जो हिंसा का रूप ले सकता है।
- **महिलाओं की आर्थिक निर्भरता:** अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होतीं। इस निर्भरता के कारण वे घरेलू हिंसा सहने को मजबूर हो जाती हैं।

3. शैक्षणिक और जागरूकता की कमी

- **कानून के प्रति अपर्याप्त जागरूकता:** महिलाओं और पुरुषों दोनों में घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है।
- **शिक्षा का अभाव:** शिक्षा की कमी के कारण लोग पारंपरिक विचारधाराओं को अपनाए रखते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार को सामान्य मानते हैं।

समाधान के सुझाव

- **शिक्षा और जागरूकता:** शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से पितृसत्तात्मक सोच और दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार आवश्यक है।
- **कानूनी सहायता:** घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) और अन्य कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

घरेलू हिंसा और प्रकार:

घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकार समाज में महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के अलग-अलग रूपों को दर्शाते हैं। इन प्रकारों को समझना समस्या की गहराई और उसके समाधान के लिए आवश्यक है।

1. शारीरिक हिंसा- इसमें पीड़ित के शरीर को नुकसान पहुंचाना या चोटिल करना शामिल है। यह मारपीट, जलाना, या किसी अन्य प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाने के रूप में हो सकता है। **उदाहरण:** थप्पड़ मारना, लात-घूंसे चलाना, हथियार का उपयोग करना।

2. मानसिक हिंसा- पीड़ित के आत्म-सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना। इसमें अपमान करना, तिरस्कार करना, और धमकियां देना शामिल है। **उदाहरण:** पीड़ित को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, बार-बार आलोचना करना, या उसे परिवार और समाज से अलग-थलग करना।

3. आर्थिक हिंसा- पीड़ित को आर्थिक संसाधनों से वंचित करना। इसमें धन, संपत्ति, या रोजगार के अवसरों पर नियंत्रण करना शामिल है। **उदाहरण:** पीड़ित को आय के स्रोतों से दूर रखना, धन का दुरुपयोग करना, या उसकी संपत्ति को जबरदस्ती छीन लेना।

4. यौन हिंसा- इसमें पीड़ित की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालना या यौन शोषण करना शामिल है। **उदाहरण:** जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, यौन उत्पीड़न करना, या अश्लील हरकतें करना।

समाधान के प्रयास

- कानूनी सहायता:** घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन और पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
- सामाजिक जागरूकता:** इन विभिन्न प्रकारों के प्रति समाज को जागरूक करना ताकि लोग इसके खिलाफ खड़े हो सकें।
- सपोर्ट सिस्टम:** पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, और सामाजिक समर्थन प्रदान करना।
- शिक्षा और प्रशिक्षण:** महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना।

घरेलू हिंसा, अधिनियम, 2005 और कुछ प्रमुख प्रावधान

घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम महिलाओं के खिलाफ होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। इसके अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

प्रमुख प्रावधान:

- घरेलू हिंसा की परिभाषा-** अधिनियम में घरेलू हिंसा को किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, यौन, या आर्थिक शोषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक महिला को उसके घर या रिश्ते में सहन करनी पड़ती है। इसमें शारीरिक चोट, मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण, और संपत्ति या वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को रोकना शामिल है।

2. पीड़िता का अधिकार

- I. **सुरक्षा आदेश:** यदि महिला को हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वह कोर्ट से सुरक्षा आदेश प्राप्त कर सकती है, जो आरोपी को पीड़िता से संपर्क करने से रोकता है।
 - II. **आश्रय:** महिला को अस्थायी आश्रय प्रदान किया जा सकता है, ताकि वह आरोपी से सुरक्षित रह सके।
 - III. **भरण-पोषण और आर्थिक सहायता:** पीड़िता को भरण-पोषण और अन्य वित्तीय सहायता का अधिकार होता है, ताकि वह अपनी जीवनशैली को बनाए रख सके।
 - IV. **स्वास्थ्य देखभाल और उपचार:** पीड़िता को इलाज और स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं मिल सकती हैं, ताकि वह शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हो सके।
3. **मदद प्राप्त करने के तरीके-** महिला को इस अधिनियम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पुलिस या घरेलू हिंसा से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी (जैसे कि संरक्षण अधिकारी) से संपर्क करना होता है। वे पीड़िता को कानूनी सहायता, आश्रय, चिकित्सा, और अन्य सहायक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
 4. **प्रोटेक्शन ऑर्डर-** कोर्ट या न्यायालय पीड़िता के अनुरोध पर आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकता है। यह आदेश आरोपी को किसी भी प्रकार से महिला के पास आने, उसका पीछा करने, या उसे परेशान करने से रोकता है।
 5. **संपत्ति का अधिकार-** महिला को उस संपत्ति या घर पर अधिकार होता है, जहां वह रहती है, और उसे घर से बाहर निकालने का प्रयास करना या संपत्ति से वंचित करना अपराध माना जाता है।
 6. **कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा-** महिला को घरेलू हिंसा से सुरक्षा न केवल घर पर बल्कि कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर भी मिलती है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की हिंसा से महिला को सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा प्रदान की जाती है।
 7. **प्राधिकृत अधिकारी और प्रक्रियाएँ**
 - I. **प्रत्येक जिले में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है,** जो महिलाओं के मामलों की सुनवाई करता है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
 - II. महिलाओं के लिए **सुरक्षा अधिकारी और आश्रय गृह** की व्यवस्था भी इस अधिनियम के तहत की जाती है।
 8. **न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया-** घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में तेजी से सुनवाई करने के लिए विशेष अदालतें बनाई जाती हैं। इसके अलावा, पुलिस को भी पीड़ितों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में कानून की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए शोध छात्र द्वारा कुछ आंकड़े एकत्रित किये गये हैं तथा जिनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकला गया है ।

घरेलू हिंसा के आंकड़े (2020-2023):

वर्ष	दर्ज मामले	सुलझाए गए मामले	लंबित मामले
2020	2,100	1,200	900
2021	2,350	1,500	850
2022	2,800	1,800	1,000
2023	3,200	2,000	1,200

महिला हेल्पलाइन पर शिकायतें (2020-2023):

वर्ष	शिकायतें	त्वरित सहायता	पुनर्वास
2020	8,000	5,500	1,000
2021	9,200	6,300	1,200
2022	10,500	7,800	1,500
2023	12,000	8,500	2,000

विश्लेषण

- रायपुर जिले में दर्ज मामले: 2023 में 2,453 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हुए। इनमें से 60% मामलों में अंतरिम राहत दी गई।
- महिला हेल्पलाइन की भूमिका: हेल्पलाइन नंबर 181 पर 2023 में 10,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं।
- संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति: 85% जिलों में संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए।
- एनजीओ का सहयोग: संगठनों ने पीड़िताओं को पुनर्वास में सहायता प्रदान की।

चुनौतियां

- कानूनी जागरूकता की कमी: ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इस कानून से अपरिचित हैं।
- संरक्षण अधिकारियों की कमी: कुछ जिलों में अधिकारी अनुपलब्ध हैं।
- समाज का प्रतिरोध: पीड़िताओं को समाज और परिवार से सहयोग नहीं मिलता।
- कानूनी प्रक्रियाओं में देरी: मामलों का समाधान धीमा है।

निष्कर्ष और सुझाव

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ में "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" ने महिलाओं को न्याय दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं, जिनमें कानूनी जागरूकता की कमी, सामाजिक बाधाएं, और संसाधनों की सीमित उपलब्धता शामिल हैं।

सुझाव

- जागरूकता अभियान: कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियमित अभियान चलाए जाएं।
- संरक्षण अधिकारियों की संख्या बढ़ाना: प्रत्येक जिले में पर्याप्त संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
- त्वरित न्याय प्रणाली: मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएं।
- सामाजिक समर्थन प्रणाली: पीड़िताओं के पुनर्वास और आर्थिक सहायता के लिए व्यापक योजनाएं लागू की जाएं।
- एनजीओ और सरकार का सहयोग: महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए साझेदारी मॉडल को मजबूत किया जाए।

संदर्भ

1. भारतीय संसद, (2005), घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 (भारत कानून), दिल्ली: भारत सरकार।
2. गुप्ता, एस, (2010), छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की प्रभावशीलता का अध्ययन, भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, 12(2), 45-58.
3. सिंह, के, (2011), महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा अधिनियम : का प्रभाव, भारतीय कानून और समाज, 9(2), 40-55.
4. चौहान, ए, (2013), छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का अध्ययन, महिला अधिकार जर्नल, 5(1), 29-43.
5. राय, एस, (2014), छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा अधिनियम (रोकथाम और संरक्षण), 2005 के प्रभाव का सामाजिक मूल्यांकन, समाजशास्त्रीय अध्ययन जर्नल, 6(3), 44-59.
6. वर्मा, आर, (2015). घरेलू हिंसा (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम, 2005: छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन की चुनौतियाँ, महिला अध्ययन अनुसंधान पत्रिका, 7(3), 22-36.
7. कुमार ए., (2018). घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा: कानूनी दृष्टिकोण. रायपुर: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय प्रकाशन।
8. दास एम, (2018). छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभाव का मूल्यांकन आर्थिक-एक सामाजिक : दृष्टिकोण समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य जर्नल, 10(4), 50-64.
9. सिंह आर, (2019). भारत में घरेलू हिंसा: कानूनी ढांचा और सामाजिक पहलू. दिल्ली: इंडिया पब्लिशिंग हाउस।
10. शर्मा पी., & यादव, एस. (2020). महिलाओं के अधिकार और घरेलू हिंसा अधिनियम की प्रभावशीलता: एक सामाजिक विश्लेषण. छत्तीसगढ़: सामाजिक विज्ञान परिषद।
11. सौरभ एन. (2021). घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 का छत्तीसगढ़ में प्रभाव: केस स्टडी और सामाजिक प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ रिसर्च जर्नल, 15(2), 45-59।
12. महात्मा एस., & कुमार पी. (2022). महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण: छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा और महिला हेल्पलाइन की भूमिका. रायपुर: महिला अध्ययन संस्थान।